जावीद अहमद
भा0पु0से0

अर्धशा0 परिपत्र संख्या- 4 /2017
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001
दिनांक: मार्च 24 2017

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि नई सरकार की प्राथमिकताओं में से एक **दुधारू पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन पर कठोरता से अंकुश** लगाया जाना है। दुधारू पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन से एक ओर जहाँ दुधारू पशुओं की संख्या में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाओं से शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी उ0प्र0 गोवध निवारण(संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा **प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध** है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-760/नौ-8-2017-29ज/2017 दिनांक 22 मार्च, 2017 के माध्यम से प्रदेश में संचालित अवैध पशुवधशालाओं को बन्द किए जाने एवं यांत्रिक पशुवधशालाओं को तत्काल बन्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम/नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने विस्तृत निर्देश निर्गत किए गये हैं। प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन से उत्पन्न होने वाली शान्ति व्यवस्था संबंधी गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

- गोवंशीय पशुओं का प्रदेश से बाहर बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन नहीं किया जाय। इसके लिए पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय सीमाओं पर, राष्ट्रीय राजमार्गों, सीमावर्ती ग्रामीण पशु आवागमन मार्गो पर प्रभावी निगरानी करते हुए **बिना अनुज्ञा पत्र के गोवंश परिवहन को रोकने** की कार्यवाही की जाये।
- गोवध अधिनियम धारा-7(3) के अन्तर्गत तस्करी एवं अवैध परिवहन के दौरान पकड़े गये पशुओं को पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से गौशाला या इसे किसी **अधिकृत/अच्छी ख्यातिप्राप्त** संस्था को सुपुर्दगी में दिया जाय।
- प्राय: देखने में आया है कि कुछ पुलिस कर्मी अवैध वसूली के प्रलोभन में पशुओं का परिवहन करने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली करके उनके संचालन में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य से समाज में पुलिस की छवि खराब होती है। इसमें संलग्न पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

- पशुओं के वध/तस्करी में संलिप्त ऐसे अपराधी, जिनके विरूद्ध विगत 05 वर्षों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये है और वे उपरोक्त गतिविधियों में, लिप्त है, उनका विवरण तैयार किया जाये तथा **उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी** रखी जाय। यदि वे इन्हीं अपराधों में दोबारा संलिप्त पाये जाते है तो उनकी जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- पशु तस्करों के बारे में अभिसूचना संकलित कर विलेज क्राइम नोटबुक में अंकन किया जाये और उनकी **हिस्ट्रीशीट खोली जाए।**
- ज्ञातव्य है कि पशु वधशालाओं की चैकिंग हेतु कोई स्वयंसेवी संस्था/ सामाजिक संगठन अथवा स्वयंभू अधिकृत नहीं है। यह अधिकार उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अधिकारियों को ही है।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध पशु परिवहन पर रोक लगाने के लिए निष्ठावान कर्मियों का सचल दस्ता राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित किया जाय एवं उनके द्वारा रात्रि में सचल (mobile) रहकर आकस्मिक (surprise) चेकिंग करायी जाय। जब किसी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से ले जाये जाते हुए पशु पकड़े जायें, तो इस बात की जाँच की जाय कि यह अवैध परिवहन किस थाना क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ था, ताकि वास्तविक रूप से इस अवैध परिवहन के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
- प्रदेश की सीमा से जुड़े अन्य राज्यों के ऐसे मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाये और नियमित चैकिंग की जाय, जो पशु तस्करी की दृष्टि से संवेदनशील है। यह भी ध्यान रखा जाये कि ऐसी **चैकिंग टीम के पास स्वचालित हथियार** हों और टीम के सदस्य चुस्त-दुरूस्त एवं हथियार चलाने में दक्ष हों।

3. मै आशा करता हूँ कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए दुधारू पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन पर कठोरता से अंकुश लगाने में अपनी भूमिका का सफल निवर्हन करेंगे।

भवदीय,

24.3.17

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।